कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला गरियाबंद (छ0ग0)

//आदेश//

दिनांक 02-02-2013

कमांक 06 /बंधक श्रम/2013, बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 की धारा 13 की उपधारा 3 के अनुसार राजस्व अनुविभाग देवभोग जिला गरियाबंद के लिए निम्नानुसार अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जाता है:-

क्र0	नाम व पदनाम	समिति में पद
1	अनुविभाग दण्डाधिकारी, देवभोग,	अध्यक्ष
2	अनुविभाग में निवासरत अ.जा./अ.ज.जा से संबधित सदस्य 1. श्री गुंधर सिंह मांझी ग्राम- टिकरापारा देवभोग, 2. श्री चन्द्रशेखर सोनवानी ग्राम वि0ख0 देवभोग, 3 श्री विशेषर सिक्का ग्राम- भाटीगढ वि0ख0 मैनपुर,	 सदस्य सदस्य सदस्य
3	अनुविभाग में निवासरत समाजिक कार्यकर्ता 1. श्री शंकर नागेश ग्राम- रोहनागुडा वि0ख0 देवभोग, 2. श्री पुनीत राम सिन्हा, ग्राम- छैलडोंगरी वि0ख0 मैनपुर,	 सदस्य सदस्य
4	अनुविभाग में ग्रामीण विकास से जुड़े शासकीय व अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत देवभोग, 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मैनपुर, 3. परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास देवभोग,	 सदस्य सदस्य सदस्य
5	अनुविभाग में वित्तीय और ऋण संस्थाओं का एक प्रतिनिधि 1. शाखा प्रबंधक, देना बैंक, देवभोग,	 सदस्य
6	अधिनियम की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट एवं अनुविभाग में कार्यरत अधिकारी 1. तहसीलदार देवभोग,	 सदस्य/सचिव

2/ उक्त समिति अधिनियम की धारा 14 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका कमांक (सिविल) 3922/1985, पब्लिक यूनियन फार सिविल लिबर्टीस विरूद्व तिमिलनाडू राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2012 के परिपेक्ष्य में निम्नानुसार कार्य करेगी :-

I. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण का कार्य प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार कराया जाकर सर्वेक्षण के परिणाम का डाटाबेस एवं पुनरीक्षित प्रतिवेदन वेबसाईट में उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को प्रेषित किया जावेगा,

II. ईंट भट्टों, पत्थर खदान, पत्थर तोड़ने की खान, बीड़ी निर्माण, कारपेट बनाना, निर्माण उद्योग, कृषि, ग्रामीण एवं शहरी असंगठित एवं अनौपचारिक सेक्टर, पावरलूम, काटन हैण्डलूम आदि क्षेत्रों में बंधक श्रमिकों की व्याप्तता के दृष्टिगत समिति सर्वेक्षण के दौरान इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्यवाही करेगी,

III. यह सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधो का समुचित रूप से कियान्वयन, किये गये प्रयत्न और की गई कार्यवाही के बारे में जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को सलाह देगी,

IV. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक पुर्नवास के लिए व्यवस्था करेगी,

V. मुक्त किये गये बंधक श्रमिकों के लिये पर्याप्त प्रत्यय की व्यवस्था करने के उददेश्य से ग्रामीण बैंकों और सहकारी सोसायटी के कृत्यो का समन्वय करेगी,

VI. उन अपराधों की संख्या पर नजर रखेगी जिनका संज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया गया है,

VII. यह सर्वेक्षण करेगी कि क्या कोई ऐसा अपराध किया गया है जिसका सज्ञान इस अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था,

VIII. मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के या उसके कुटुम्ब के सदस्य के या उस पर आश्रित व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित किसी किसी ऐसे वाद की प्रतिरक्षा करना, जो किसी बंधिक ऋण या किसी एसे अन्य ऋण के संपूर्ण या उसके किसी

भाग की वसूली के लिए हो जिसका दावा बंधित ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

IX. सतर्कता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किये गये बंधक श्रमिक के विरूद्ध वाद की प्रतिरक्षा करें और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किये गये बंधक श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समझा जाऐगा।

3/ बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम 1976 के नियम 3 (1) के अनुसार अधिनियम के धारा 13 की उपधारा 3 के खण्ड ख, ग, घ एवं ङ अर्न्तगत नामांकित प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 2 वर्ष का रहेगा और उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात उत्तराधिकारी के नामित होने तक पद पर बने रहेगें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.10.2012 के अनुसार समिति का पुर्नगठन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जायेगा।

4/ प्रत्येक सतर्कता समिति अधिनियम के अन्तर्गत अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपनी प्रकिया स्वयं विनियमित करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नामे से
तथा आदेशानुसार

कलेक्टर/उप सचिव
जिला–गरियाबंद छत्तीसगढ़